



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक 31.05.2024

**थाना अफजलगढ पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त वसीम अहमद पुत्र असगर निवासी मौहल्ला नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. वसीम अहमद पुत्र मौ० असगर निवासी मौहल्ला नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० शिवा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. का० 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट-थाना अफजलगढ

दिनांक 31.05.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 84/23 धारा 306 भादवि से संबंधित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2023 को वादिनी उषा उर्फ खष्टी देवी पत्नी स्व0 बृजगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मद नगर उर्फ जोगिपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी में थाना अफजलगढ पर अभियुक्तगण 1.ब्रह्मपाल सिंह पुत्र नन्दराम 2.श्रीमति रजनी पत्नी ब्रह्मपाल 3.प्रिंसी पुत्री ब्रह्मपाल 4.चीनू उर्फ आयुष पुत्र ब्रह्मपाल नि0गण ग्राम मौहम्मद नगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 5.सुमित पुत्र नामालूम नि0 ग्राम लालपुर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड द्वारा एक राय होकर षडयंत्र रचकर वादिनी के पति बृजगोपाल की हत्या कर देने के संबंध में मु0अ0सं0 84/23 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया था।



विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में उपरोक्त अभियुक्तगण की नामजदगी झूठी पायी गयी तथा साक्ष्य के आधार पर वादिनी/अभियुक्ता उषा उर्फ खष्टी उपरोक्त द्वारा अपने पति को आत्महत्या के लिये उकसाया जिससे वादिनी/अभियुक्ता के पति बृजगोपाल ने आत्महत्या कर ली थी। साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 302/120बी भादवि का लोप कर धारा 306 भादवि की वृद्धि की गयी।

### कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 84/23 धारा 306 भादवि से संबंधित अभियुक्ता उषा उर्फ खष्टी पत्नी स्व0 बृजगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मद नगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1.उषा उर्फ खष्टी पत्नी स्व0 बृजगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मदनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3.का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 4.म0का0 623 शिवानी पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 31.05.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504 भादवि मे वांछित  
07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2024 को थाना नगीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी में रात्रि करीब 20.00 बजे दो पक्षों ने एक दूसरे के साथ जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से मारपीट की, जिसमें दोनो पक्षों के कई लोग घायल हो गये । इस सम्बंध में थाना नगीना पर प्रथम पक्ष के 1.श्रीराम पुत्र



बिहारी 2.संदीप 3.मोनू 4.अभिषेक उर्फ कल्लन पुत्रगण श्रीराम 5.रेवती पुत्री श्रीराम 6.अन्नू पुत्र सन्दीप एवं द्वितीय पक्ष के 7.नरेन्द्र पुत्र रघुवा सिंह 8.सुबोध 9.रोहन पुत्रगण हिम्मत 10.दीपक 11.जितेन्द्र पुत्रगण राजेश 12 प्रिंस पुत्र सुनील समस्त निवासीगण ग्राम महावतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/2024 धारा 147/323/307/352/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 07 अभियुक्तगण 1.श्रीराम पुत्र बिहारी दास 2.संदीप पुत्र श्रीराम 3.मोनू उर्फ मोहित पुत्र श्रीराम 4.अन्नू उर्फ अनुराग पुत्र संदीप 5.रेवती सिंह पुत्र श्रीराम 6.सुबोध कुमार पुत्र हिम्मत सिंह 7.नरेन्द्र कुमार पुत्र रघुवा सिंह समस्त निवासीगण ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गय । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.श्रीराम पुत्र बिहारी दास निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.संदीप पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.मोनू उर्फ मोहित पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.अन्नू उर्फ अनुराग पुत्र संदीप निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.रेवती सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 6.सुबोध कुमार पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 7.नरेन्द्र कुमार पुत्र रघुवा सिंह निवासी ग्राम महारतपुर कला उर्फ पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सरवेज खँ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री सुशील पवार नगीना जनपद बिजनौर
- 3 हे0कां0 612 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1164 मौ0 आरिफ थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट—थाना अफजलगढ

दिनांक 31.05.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 181/24 धारा 377/363 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 30.05.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कासमपुर गढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने वादी के नाती (धेवता) को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 181/24 धारा 377/363 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 बनाम शहजाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 181/24 धारा 377/363 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कासमपुर गढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कासमपुर गढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4. म0का0 623 शिवानी पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना किरतपुर

दिनांक 31.05.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 236 / 24 धारा 307 / 147 / 148 / 149  
भादवि में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2024 को वादी मौ0 अय्यूब पुत्र नफीस निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 12.05.2024 को अभियुक्तगण 1.रिहान पुत्र राकिब 2.सेफ पुत्र महबूब 3.समीर पुत्र दिलशाद 4.निगम पुत्र सुभाष सिंह 5.अक्षद पुत्र नरेश 6.विनित पुत्र भूदेव सिंह 7.केशव पुत्र राजेन्द्र सिंह 8.नवनीत पुत्र बेगराज 9.बाल अपचारी द्वारा एक राय होकर वादी के भाई इकबाल के साथ जान से मारने की नियत से लोहे के धारदार हथियार व पन्च आदि से मारपीट की जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 236 / 24 धारा 147 / 148 / 149 / 307 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.निगम 2.अक्षद 3.विनित निवासीगण ग्राम इस्लामपुर शाहू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 4.केशव निवासी ग्राम साहबपुरा रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 5.रिहान निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 6.नवनीत निवासी ग्राम गधेली बेगावाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्त 1.सेफ व 2.समीर द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया ।

कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 236 / 24 धारा 147 / 148 / 149 / 307 भादवि में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

1-उ0नि0 वसीम अकरम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2-का0 963 अर्जुन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 31.05.2024

**थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 177/2024 धारा 363/376(3) भादवि, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2024 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शिवम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 177/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376(3) भादवि, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी की वृद्धि की गयी ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/2024 धारा 363/376(3) भादवि, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवम पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री गोपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 730 शुभम त्यागी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 31.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 262/24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 में  
वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक, श्री राजेन्द्र पुण्डीर, थाना नजीबाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1.भोगेन्द्र पुत्र खिलेन्द्र नि0 ग्राम घोसीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.अमित पुत्र मोहन सिंह नि0 रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3.वसीम पुत्र यासीन नि0 मौ0 सैनियों का थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 4.आनन्द पुत्र हुकुम सिंह नि0 ग्राम समसपुर सददो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 5. विकास पुत्र रामपाल नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा संगठित रूप से गिरोह बनाकर झगडे, मारपीट आदि अपराधिक कार्यों में लिप्त रहकर लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने जैसे अनेकों जघन्य अपराध कारित करने व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 262/24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि0 के वांछित अभियुक्तगण 1.भोगेन्द्र उर्फ भोगी पुत्र खिलेन्द्र नि0 ग्राम घोसीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.आनन्द पुत्र हुकुम सिंह नि0 ग्राम समसपुर सददो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 3.वसीम पुत्र यासीन नि0 मौ0 सैनियों का थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.भोगेन्द्र उर्फ भोगी पुत्र खिलेन्द्र नि0 ग्राम घोसीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.आनन्द पुत्र हुकुम सिंह नि0 ग्राम समसपुर सददो थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.वसीम पुत्र यासीन नि0 मौ0 सैनियों का थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### आपराधिक इतिहास अभि० भोगेन्द्र उपरोक्त-

1. मु०अ०स० 359 / 23 धारा 147 / 332 / 353 / 342 / 323 / 504 / 506 भादवि व 7सीएल एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 115 / 19 धारा 323 / 325 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. मु०अ०सं० 273 / 19 धारा 323 / 504 / 506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. मु०अ०सं० 250 / 19 धारा 323 / 504 / 506 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
5. मु०अ०सं० 262 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि० थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त आनन्द उपरोक्त-

1. मु०अ०स० 359 / 23 धारा 147 / 332 / 353 / 342 / 323 / 504 / 506 भादवि व 7सीएल एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 262 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि० थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम उपरोक्त-

1. मु०अ०स० 359 / 23 धारा 147 / 332 / 353 / 342 / 323 / 504 / 506 भादवि व 7सीएल एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 262 / 24 धारा 2(ख)(1), 3(1) गैंगस्टर अधि० थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक, राजेन्द्र सिंह पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2- उ०नि० महेन्द्र सिंह नागर, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3- उ०नि० श्री कय्युम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4- उ०नि० सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 5- उ०नि० जितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 6- हे०का० 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 7- हे०का० 519 पीयूष खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 8- का० 2043 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 9- का० 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 10- का० 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 11- का० 2098 रोबिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 12- का० 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 13- का० 2544 मनीष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली देहात

दिनांक 31.05.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 116/24 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.05.2024 को वादिनी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोनिस पुत्र शहजाद निवासी ग्राम सब्दलपुर देहजहांगीर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ छेडछाड की व अभियुक्तगण राबिया पत्नी शहजाद व शहजाद पुत्र यामीन द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 354/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 354/504 भादवि का लोप कर धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी।



### कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.05.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 116/24 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त मोनिस पुत्र शहजाद निवासी ग्राम सब्दलपुर देहजहांगीर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोनिस पुत्र शहजाद निवासी ग्राम सब्दलपुर देहजहांगीर थाना कोतवाली देहात बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



# BIJNOR POLICE



माह मई – 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह मई में कुल – 94 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह मई में कुल – 94 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	382 / 24	366 भादवि
2	कोतवाली शहर	391 / 24	366, 504, 506 भादवि
3	कोतवाली शहर	369 / 24	366 भादवि
4	कोतवाली शहर	437 / 24	363 भादवि
5	कोतवाली शहर	370 / 24	366 भादवि
6	कोतवाली शहर	375 / 24	366 भादवि
7	कोतवाली शहर	380 / 24	366 भादवि
8	कोतवाली शहर	385 / 24	366 भादवि
9	कोतवाली शहर	407 / 24	366 भादवि
10	कोतवाली शहर	429 / 24	366 भादवि
11	हल्दौर	126 / 24	366 भादवि
12	हल्दौर	123 / 24	363 भादवि
13	मण्डावर	160 / 24	366 भादवि

14	मण्डावर	150 / 24	366 भादवि
15	मण्डावर	165 / 24	366 भादवि
16	मण्डावर	170 / 24	363 भादवि
17	मण्डावर	151 / 24	366 भादवि
18	मण्डावर	156 / 24	366 भादवि
19	नजीबाबाद	48 / 24	366 भादवि
20	नजीबाबाद	252 / 24	366 भादवि
21	नजीबाबाद	173 / 24	366 भादवि
22	नजीबाबाद	242 / 24	366 भादवि
23	नजीबाबाद	235 / 24	363 भादवि
24	नजीबाबाद	237 / 24	366 भादवि
25	किरतपुर	224 / 24	366 भादवि
26	किरतपुर	250 / 24	363 भादवि
27	किरतपुर	199 / 24	366 भादवि
28	किरतपुर	219 / 24	363 भादवि
29	किरतपुर	256 / 24	120बी, 366, 504, 506 भादवि
30	मण्डावली	72 / 24	366, 504, 506 भादवि
31	चांदपुर	196 / 24	363 भादवि (02 बरामद)
32	चांदपुर	207 / 24	366 भादवि
33	चांदपुर	226 / 24	366 भादवि
34	चांदपुर	239 / 24	363 भादवि
35	चांदपुर	154 / 24	366, 342 भादवि
36	चांदपुर	230 / 24	363 भादवि
37	चांदपुर	238 / 24	366 भादवि
38	नूरपुर	177 / 24	363 भादवि वृद्धि धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट
39	नूरपुर	173 / 24	363 भादवि
40	नूरपुर	190 / 24	366 भादवि
41	नूरपुर	188 / 24	366 भादवि
42	हीमपुर दीपा	52 / 24	366 भादवि
43	हीमपुर दीपा	64 / 24	363, 506 भादवि
44	हीमपुर दीपा	68 / 24	366 भादवि
45	हीमपुर दीपा	60 / 24	366 भादवि
46	हीमपुर दीपा	61 / 24	363 भादवि
47	नगीना	124 / 24	363 / 504 / 376(2) भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट
48	नगीना	125 / 24	363 / 376(2) भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट

49	नगीना	136 / 24	366, 504, 120 बी भादवि
50	नगीना	121 / 24	366 भादवि
51	नगीना	138 / 24	366 भादवि
52	नगीना	151 / 24	363 भादवि
53	नगीना	142 / 24	366, 504, 506 भादवि
54	कोतवाली देहात	256 / 23	363, 506 भादवि
55	कोतवाली देहात	100 / 24	366 भादवि
56	कोतवाली देहात	95 / 24	363 भादवि
57	कोतवाली देहात	113 / 24	363, 366 भादवि <b>(02 बरामद)</b>
58	कोतवाली देहात	99 / 24	363 भादवि
59	बढापुर्	63 / 24	366 भादवि
60	बढापुर्	84 / 24	363 भादवि
61	बढापुर्	98 / 24	366 भादवि
62	बढापुर्	108 / 24	363, 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट
63	नगीना देहात	89 / 24	366 भादवि
64	नगीना देहात	87 / 24	366 भादवि
65	नगीना देहात	102 / 24	366 भादवि
66	नगीना देहात	106 / 24	366 भादवि
67	धामपुर्	211 / 24	366 भादवि
68	धामपुर्	227 / 24	366 भादवि
69	धामपुर्	220 / 24	366 भादवि
70	धामपुर्	225 / 24	366 भादवि
71	धामपुर्	231 / 24	323, 363, 504, 506 भादवि
72	स्योहारा	211 / 24	366, 363, 376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट
73	स्योहारा	238 / 24	363, 366 भादवि
74	स्योहारा	166 / 24	363 भादवि
75	स्योहारा	185 / 24	366 भादवि <b>(02 बरामद)</b>
76	स्योहारा	198 / 24	366, 363, 376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट
77	स्योहारा	217 / 24	363, 366 भादवि
78	स्योहारा	226 / 24	363, 366 भादवि
79	स्योहारा	186 / 24	120बी, 366 भादवि
80	स्योहारा	243 / 24	120बी, 363, 366 भादवि
81	नहतौर	109 / 24	363 भादवि
82	नहतौर	143 / 24	366 भादवि
83	नहतौर	193 / 24	366 भादवि

84	अफजलगढ	152/23	363, 366 भादवि
85	अफजलगढ	143 / 24	366 भादवि
86	शेरकोट	106 / 24	366 भादवि
87	शेरकोट	107 / 24	366 भादवि
88	शेरकोट	108 / 24	366 भादवि
89	रेहड	31 / 24	365 भादवि
90	रेहड	58 / 24	366 भादवि
91	रेहड	64 / 24	363 भादवि





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 31.05.2024

**थाना रेहड पर तैनात मुख्य आरक्षी चालक श्री राकेश कुमार शर्मा के असामयिक दुःखद निधन पर बिजनौर पुलिस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है।**

अवगत कराना है कि श्री राकेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम बिक्रमपुर थाना मिलक जनपद रामपुर वर्ष – 1989 में उ0प्र0 पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे, जिनकी पदोन्नति वर्ष 2018 में मुख्य आरक्षी के पद पर हुई। वर्तमान में श्री राकेश कुमार शर्मा थाना रेहड़ पर मुख्य आरक्षी चालक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे।



दिनांक 30.05.2024 को समय करीब सांय 06.15 बजे कस्बा रेहड में गस्त के दौरान मुख्य आरक्षी चालक श्री राकेश कुमार शर्मा की अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिन्हे तत्काल सीएचसी अफजलगढ मे भर्ती कराया गया तथा उनके परिजनो को सूचना दी गई। सीएचसी अफजलगढ पर चिकित्सकों द्वारा मुख्य आरक्षी को हीट स्ट्रोक लगना बताया। मुख्य आरक्षी श्री राकेश कुमार शर्मा को प्राथमिक उपचार के पश्चात स्थानीय पुलिस द्वारा सीएचसी अफजलगढ से विवेकानन्द हॉस्पिटल, मुरादाबाद में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। दिनांक 31.05.2024 को समय प्रातः 06.22 बजे मुख्य आरक्षी श्री राकेश कुमार शर्मा की उपचार के दौरान दुःखद मृत्यु हो गई।

बिजनौर पुलिस मुख्य आरक्षी श्री राकेश कुमार शर्मा के दुःखद निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा दिवंगत मुख्य आरक्षी को सद्गति व उनके परिजनों/प्रियजनों के संबल हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुख्य आरक्षी द्वारा पुलिस विभाग में दिये गये योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा।